एस डी आर [illegible]

४ ६ [illegible] [illegible] [illegible] कोर्ट में पेश हुआ | बाकी [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] से [illegible] [illegible] किया | [illegible] [illegible]
अनुसार [illegible] [illegible] से [illegible] से [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] हो |

प्रपत्र -5

राजस्थान सरकार

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

(न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर ,कोटकासिम)

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट)कैम्प बुढ़ोकला

पीठासीन अधिकारी श्री विश्वामित्र मीणा R.A.S

उनवान

रामकुमार बनाम प्रीति

दावा बाबत:- 188 R.T. Act.

मुकदमा नम्बर:- 166/17

निर्णय दिनांक:- 8.6.2018

वादी की ओर से अधिवक्ता की व प्रतिवादी की ओर से — की उपस्थिति में आज तारीख .... को .... (नाम पीठासीन अधिकारी) के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर,आदेश किया जाता है ओर डिग्री दी जाती कि विवादित आराजी खसरा नं. 269/0-02 बिस्वा वाके ग्राम बुढ़ोकला तहसील कोटकासिम में वादी का वाद डिक्री किया जाता है प्रतिवादीगण को यह [illegible] स्थायी रूप से पाबन्द किया जाता है कि वादी की आराजी में कोई [illegible] [illegible] [illegible] में [illegible] पैदा करे। [illegible] [illegible] रखें।

खर्चा पक्षकारन अपना-अपना वहन करेगें ।

यह आज तारीख 8.6.18 को मेरे हस्ताक्षर से ओर न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(विश्वामित्र मीणा R.A.S)

पीठासीन अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी एवं

पदेन सहायक कलक्टर ,कोटकासिम

वाद के खर्चे

Scanned by CamScanner